प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या— / /ऑनलाईन/जनहित गारण्टी/2022—23 लखनऊ दिनांक 02 मई अप्रैल, 2022

विषयः—विभाग द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम—2011 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रदान की जा रही मनोरंजन से सम्बन्धित के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विभाग की मनोरंजन से सम्बन्धित निम्नलिखित चार सेवाऐं URL http://entertainmenttax.azurewebsites.net/ के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही थी—

I. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस।
II. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेंस का नवीनीकरण।
III. चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट।
IV. विभिन्न मनोरंजन के लिये अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर तथा उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन)।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभागीय क्लाउड सर्वर का डाटा स्थानान्तरण Microsoft azure से AWS के Cloud Server पर किया गया है, जिसके कारण विभाग की मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं का URL परिवर्तित होकर https://up-gst.com/entertainmenttax/ हो गया है।

अतएव विभाग की उपरोक्त वर्णित मनोरंजन से सम्बन्धित चार सेवाऐं URL https://up-gst.com/entertainmenttax/ के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, शेष प्रक्रिया यथावत् है, कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री रंजन जी
अपलोड करें
11/05/22
10/05/2022

भवदीया,

/

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

संख्या 158 (1)/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2. ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

3. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्य) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12.5.22

02/05/2022

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।